डाग-व्यय की पूर्व अदायगी
के लेखा डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत, अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक -216 रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2002-भाद्र 11, शक 1924

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी 4490/479/2002/ आजावि. इस विभाग की अधिसूचना डी अधिसूचना क्रमांक डी-4226/479/47/2002/ आजावि. दिनांक 16 अगस्त, 2002 को अतिष्ठित करते हुये, एवं मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है।

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत होगी।

2. समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियाँ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवस्थित पूर्व माध्यमिक राज्य में थी, एतद् द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएँ। उपान्तरणों के अध्ययीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहाँ कहीं भी आए हो, के स्थान पर शब्द छत्तीसगढ़ एवं शब्द भोपाल जहाँ कहीं भी आए हों के स्थान पर शब्द रायपुर स्थापित किए जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई दिनांक 30-05-2001''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589) **रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020- आश्विन 23, शक 1942**

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग./20- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव